समाहरणालय,बक्सर
(स्थापना शाखा)

पत्रांक 01-0410 /स्था0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

नजारत उप समाहर्त्ता
बक्सर

बक्सर, दिनांक 29 / 03 /2018

विषय : मुख्य शीर्ष–**2053**–जिला प्रशासन–00–**093**–जिला स्थापना–**0001**–जिला प्रशासन बजट (मांग संख्या **33** एवं विपत्र कोड संख्या **33-2053000930001**) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षो में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष **2017–18** के व्यय हेतु राशि के उपावंटन के संबंध में।

प्रसंग : सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0 **74**, दिनांक **28.03.18**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक आवंटनादेश द्वारा विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षो में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष **2017–18** के व्यय हेतु मो0 **24,00,000/–** (चौबीस लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवंटन मो0 **24,00,000/–** (चौबीस लाख) रूपये को निम्नलिखित शर्तो के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार आपको उपावंटित किया जाता है :–

2. यह आवंटन वित विभाग के पत्रांक **428**, दिनांक **31.03.2017** एवं पत्रांक **3002**, दिनांक **26.04.2017** के आलोक में दिया जा रहा है।
3. उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के स्थायी आदेश संख्या **2561**, दिनांक **17.04.1998**,पत्रांक **3388**, दिनांक **18.04.2011**, पत्रांक **422**, दिनांक **31.03.2012** एवं पत्रांक **2793**, दिनांक **04.04.2016** के आलोक में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. इसकी मांग संख्या **33** एवं विपत्र कोड संख्या **33-2053000930001** है।
5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जॉच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही की जाय। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
7. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की होगी।

9. जिस पद के विरूद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त है उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से की जायेगी।

10. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, **2006** के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अन्त में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

14. मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह की **10** तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से कार्यालय को भेजी जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभजन,

(signature)

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 01-0410 /स्था0,बक्सर,दिनांक 29 / 03 /2018

प्रतिलिपि : वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature) 29/03/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

बजट मुख्य शीर्ष–2053 जिला प्रशासन–093–जिला स्थापना–0001–जिला प्रशासन (मांग संख्या–33 एवं विपत्र कोड संख्या 33-205300930001) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए व्यायार्थ राशि का उपावंटन :–

क्र0	इकाई का नाम	नजारत उप समाहर्त्ता, बक्सर			पूर्व में कुल उपावंटित राशि	वर्त्तमान में कुल उपावंटन राशि	पूर्व एवं वर्त्तमान में उपावंटित राशि का योग
		पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	कुल उपावंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कार्यालय व्यय (13–01)	60000.00	1500000.00	**1560000.00**	60000.00	1500000.00	**1560000.00**
2	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	40000.00	600000.00	**640000.00**	40000.00	600000.00	**640000.00**
3	भाड़े की गाड़ी का भुगतान (13–10)	0.00	300000.00	**300000.00**	0.00	300000.00	**300000.00**
	कुल योग	**100000.00**	**2400000.00**	**2500000.00**	**100000.00**	**2400000.00**	**2500000.00**

29/03/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर